<u>सिविल जज (जू0डि0) ठाकुरद्वारा।</u>

मूल वाद सं0–23/2015

फकीर मौहम्मद बनाम ओमप्रकाश आदि

<u>22.05.2019</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनापत्र 16ग पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थनापत्र16ग द्वारा प्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में सायल/वादी है प्रार्थी एक बिना पढ़ा लिखा कानून से नाजानकार देहाती व्यक्ति है। उक्त वाद में विपक्षी सं0–1 ओमप्रकाश की दौरोन वाद मृत्यु हो गयी है। जिसकी बाबत प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता महोदय को जानकारी दे दी गयी थी। प्रार्थी के अधिवक्ता महोदय द्वारा उक्त वाद के मूलवाद में उक्त मृतक प्रतिवादी की प्रतिस्थापन/संशोधन बाबत पैरवी कर दी गयी। परन्तु वाद हाजा में उक्त मृतक विपक्षी के नाम को डिलीट किये जाने की बाबत पैरवी भूलवश न कर सके। प्रार्थी यह सोचे रहा कि प्रार्थी के अधिवक्ता महोदय द्वारा इस वाद में पैरवी कर दी गयी होगी। उक्त वाद में पैरवी न किये जाने की जानकारी प्रार्थी को आज ही हुई है। जिससे प्रार्थी के हित व अधिकार अत्यधिक प्रभावित हुए है। उक्त भूल एक सद्भाविक चूक है तथा धारा–5 म्याद अधिनियम का लाभ प्रदान किये जाते हुए प्रार्थी द्वारा संशोधन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने में हुई उक्त सद्भाविक देरी को क्ष्झमा किया जाना तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त संशोधन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है।

उक्त प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी ने मृतक ओमप्राकश प्रतिवादी सं0–1 के बावत उसके वारिसान को फरीक मुकदमा बनाने का प्रार्थनापत्र देने में बिलम्ब हो गया है, क्यों कि प्रार्थी एक बिना पढ़ा लिखा कानून का नाजानकार व्यक्ति है। जिस कारण वह वाद में समयान्तर्गत प्रतिस्थापना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत न कर सका। माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से सुस्थापित सिद्धान्त उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है जहॉ तक बिलम्ब का प्रश्न है तो उसकी क्षतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 16ग अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधि0 200/–रू0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थनापत्र 18ग पुनः पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0)
ठाकुरद्वारा।

<u>पुनः पेशः–</u>

पत्रावली पुनः पेश हुई। उभय पक्ष को प्रार्थनापत्र 17क पर सुना गया। निस्तारण 17ग हेतु लंच बाद पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0)
ठाकुरद्वारा।

लंच बाद

निस्तारण प्रार्थनापत्र 17गः–

प्रार्थनापत्र 17ग द्वारा प्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सं0–1 ओमप्रकाश पुत्र चन्दन की मृत्यु दौराने मुकदमा, जैसा कि प्रार्थी को ज्ञात हुआ है छः माह पूर्व हो गयी है। जिस कारण वादपत्र में निम्न लिखित संशोधन किये जाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

बांछित संशोधन

वादपत्र के प्रतिवादीगण के कालम में प्रतिवादी सं0–1 ओमप्रकाश पुत्र चन्दन के आगे ''मृतक दौराने मुकदमा'' लिखा जावे।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य विदित हुआ कि प्रतिवादी ओमप्रकाश की मृत्यु दौराने वाद गयी थी, प्रार्थनापत्र 16ग अन्तर्ग्रत धारा–5 मियाद अधिनियम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से सुस्थापित सिद्धान्त उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

प्रार्थनापत्र 17ग स्वीकार किया जाता है, तदानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है प्रार्थनापत्र के प्रकाश में हर्जा अदा कर संशोधन अन्दर सप्ताह करें पत्रावली दिनांक 20.07.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0)
ठाकुरद्वारा